



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 21.11.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

टिंकू उर्फ प्रवीन पुत्र चन्दर निवासी कर-बा टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री ब्रजेश पौनिया थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-का0 511 धर्मेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-हो0गा0 363 शौकीनपाल थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 21-11-2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस व सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम ने 03 अवैध मादक पदार्थ तस्करों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 08 क्विंटल 17 किलोग्राम अवैध गांजा जिसकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपये व तस्करी में प्रयुक्त एक ट्रक टाटा नं0 RJ-40GA-5843 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस एवं सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम द्वारा 03 अवैध मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 08 क्विंटल 17 किलोग्राम अवैध गांजा जिसकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपये व तस्करी में प्रयुक्त एक ट्रक टाटा नं0 RJ-40GA-5843 बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 892/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-इकबाल पुत्र हुसैनदीन निवासी ग्राम नगीना थाना नगीना जनपद नूह हरियाणा ।
- 2-इनाम पुत्र हफीज निवासी रोजपुर नमक जनपद नूह हरियाणा ।
- 3-मदनमोहन प्रधान पुत्र तारासिंह प्रधान निवासी ग्राम लोहमुडी जनपद गजपति उडीसा।

बरामदगी का विवरण-

- 08 क्विंटल 17 किलोग्राम अवैध गांजा कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपये ।
- तस्करी में प्रयुक्त एक ट्रक टाटा नं0 RJ-40GA-5843

नोट- श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध गांजा बरामद/गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000/- रुपये के नगद ईनाम से पुरस्कृत किया गया है ।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार शर्मा थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री नितिन पाण्डेय प्रभारी सर्विलांस सैल मय टीम जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-उ0नि0 श्री प्रदीप नादर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 339 राकेश थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 6-है0का0 460 मनीष त्यागी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 7-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 8-है0का0 202 नरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 9-का0 44 संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 21.11.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 853/23 धारा 380/457 भादवि, मु0अ0सं0 876/23 धारा 380/457 भादवि व मु0अ0सं0 834/23 धारा 380/457 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 02 बैट्रा, एक इन्वर्टर व बिजली केबल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

1-दिनांक 01.11.2023 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री राजेन्द्र पुत्र धनपाल निवासी ग्राम गौरीपुर थाना कोतवाली बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्त ने उसके ट्यूबवैल से केबल, स्टार्टर आदि सामान चोरी कर लिया है। इस



सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 834/2023 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया ।

2-दिनांक 01.11.2023 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री रेमन यादव सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी खेकडा जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा हेल्थ एण्ड वेलवेस सैन्टर से बैटरा व इन्वर्टर को चोरी कर लिये हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 853/2023 धारा 380/457 भादवि पंजीकृत किया गया ।

3-दिनांक 14.11.2023 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री आल्हा सिंह पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम सूरजपुर महनवा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा ग्राम पंचायत सूरजपुर महनवा के मीटिंग हॉल का ताला तोड़कर इन्वर्टर व बैट्रा चोरी कर लिये हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना

कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 876/2023 धारा 380/457 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछितों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 853/23 धारा 380/457 भादवि, मु0अ0सं0 876/23 धारा 380/457 भादवि व मु0अ0सं0 834/23 धारा 380/457 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 02 बैट्रा, एक इन्वर्टर व ट्यबवैल की केबल बरामद हुई है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-शुभम उर्फ हीरा पुत्र सुरेन्द्र उर्फ काला निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली जनपद बागपत।

2-आदर्श उर्फ काले पुत्र गुल्लू उर्फ गुलवीर निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण:-

- 02 बैट्रा । (सम्बन्धित मु0अ0सं0 853/23 धारा 380/457 भादवि, मु0अ0सं0 876/23 धारा 380/457 भादवि)
- एक इन्वर्टर । (सम्बन्धित मु0अ0सं0 876/23 धारा 380/457 भादवि)
- बिजली केबल । (सम्बन्धित मु0अ0सं0 834/23 धारा 380/457 भादवि)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना कोतवाली बागपत ।

2-का0 885 हरिओम सिंह थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बिनौली

दिनांक 21.11.2023

थाना बिनौली पुलिस ने एक अवैध मादक पदार्थ तस्करो को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 किलो 50 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा एक अवैध मादक पदार्थ तस्करो को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 01 किलो 50 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 285/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सादिक पुत्र स्व0 आरिफ निवासी ग्राम पिचौकरा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 किलो 50 ग्राम अवैध गांजा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री महेन्द्र पाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री सुनील कुमार सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत
- 3-का0 467 टिकू अधाना थाना बिनौली जनपद बागपत
- 4-का0 813 दोसेन्द्र थाना बिनौली जनपद बागपत